न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सिमरिया।

विविध वाद संख्या–04/2024–25

प्रथम पक्षः– 01. विनोद महतो,
02. दिनेश महतो, दोनों पिता–कोलहा महतो,
03. किशोरी महतो, पिता–स्व0 जेठन महतो,
04. किशोरी महतो, पिता–स्व0 देवा महतो,
सभी साकिन–डाड़ी, थाना–सिमरिया, जिला–चतरा।

बनाम

द्वितीय पक्षः– 01. भुनेश्वर महतो पिता–स्व0 टेका महतो,
साकिन–डाड़ी, थाना–सिमरिया, जिला–चतरा।

1 | 2 | 3

–आदेश–

1. इस वाद की प्रक्रिया आवेदक–विनोद महतो एवं अन्य (कुल–04), द्वारा अंचल अधिकारी, सिमरिया के विविध वाद सं0–03/2022–23 (भुनेश्वर महतो बनाम विनोद महतो एव अन्य) में पारित आदेश के विरूद्ध अपिल आवेदन दायर किया गया है। इस न्यायालय में संधारित वाद से संबंधित विवादित भूमि की विवरणी निम्नवत् हैः–

मौजा का नाम	खाता नं0	प्लॉट संख्या	कुल रकबा	मध्ये रकबा
डाड़ी	89	819, 820, 821, 826, 449, 1629, 1965, 1465, 1485 एवं 1617,	6.77 ए0	1.10 ए0

2. यह कि प्रथम पक्ष के द्वारा लिखित कथन/बहस दाखिल कर न्यायालय को बताया गया किः–

(2.1) यह कि प्रथम पक्ष द्वारा अंचल अधिकारी, सिमरिया के न्यायालय में संधारित विविध वाद सं0–03/2022–23 में पारित आदेश से असंतुष्ट होकर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमरिया के न्यायालय में अपिल दायर किया गया है।

(2.2) यह कि अंचल अधिकारी द्वारा बिना राजस्व कागताज के जांच किए बिना ही आदेश पारित कर दिया गया है जिसे तत्काल निरस्त किया जा सकता है। खतियान के सत्यापन हेतु जिला अभिलेखागार, चतरा से खतियान की सत्यापित प्रति माँग की गई थी परन्तु खतियान उपलब्ध नहीं कराया गया था। फिर भी अंचल अधिकारी, सिमरिया द्वारा भुनेश्वर महतो के पक्ष में आदेश पारित कर दिया गया था, जबकि उभय पक्षों द्वारा खयितान की प्रति उपलब्ध कराई गई थी।

(2.3) यह कि उभय पक्ष खतियान के आधार पर प्रश्नगत् भू–खण्ड का दावा कर रहे है। मौजा–डाड़ी के खाता सं0–89 की भूमि केवल लालजी महतो और लटन महतो पुत्र सीता महतो के नाम से दर्ज है। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत खतियान ग्राम–डाड़ी के खाता सं0–89 में लालजी महतो, लटन महतो एवं मिठु महतो के नाम से दर्ज है।

Scanned with OKEN Scanner

द्वितीय पक्ष द्वारा आपसी बटवारा का भी कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। आपसी बटवारा के लिए सक्षम न्यायालय व्यवहार न्यायालय है।

(2.4) यह कि द्वितीय पक्ष का दावा है कि प्रश्नगत् भू–खण्ड के 1.10 ए0 भूमि से प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को बेदखल करना चाहते है, जबकि सम्पूर्ण भूमि पर प्रथम पक्ष का दखल–कब्जा पूर्व से ही है। अंचल अधिकारी, सिमरिया द्वारा उभय पक्षों के दावा को देखते हुए आवेदक भुनेश्वर महतो के आवेदन को अस्वीकृत कर उभय पक्षों को स्वामित्व के निर्धारण हेतु व्यवहार न्यायालय जाने का आदेश पारित करना चाहिए था, क्योंकि मामला हक–हकियत एवं स्वामित्व का निर्धारण राजस्व न्यायालय में नही किया जा सकता है। इस आधार पर भी अंचल अधिकारी, सिमरिया के द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जा सकता है।

(2.5) यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा दिनांक–25.12.1994 एवं दिनांक–26.12.1994 को मापी कर बटवारा की बात कही गई है, जो गलत है क्योंकि इससे सम्बंधित कोई वैध कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया है।

(2.6) यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा कोई भी पंजीकृत दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है। साथ ही यह भी कहना है कि लम्बे समय से चले आ रहे जमाबंदी को सक्षिप्त कार्रवाई में स्थगित नहीं किया जा सकता है। अनुरोध है कि अंचल अधिकारी, सिमरिया द्वारा पारित ओदश को निरस्त करने की कृपा करें।

(2.7) प्रथम पक्ष अपने दावे के समर्थन में : 1. खतियान की छायाप्रति 2. लालजी महतो के नाम से ऑफलाईन/ऑनलाईन पंजी–2 की छायाप्रति 3. ऑफलाईन लगान रसीद की छायाप्रति।

3. दूसरी ओर द्वितीय पक्ष द्वारा लिखित कथन/बहस दाखिल कर न्यायालय को बताया गया कि:–

(3.1) प्रथम पक्ष यह अपील आवेदन अंचल अधिकारी, सिमरिया द्वारा निष्पादित विविध वाद संख्या–03/2022–23 में दिनांक–14.03.2024 को पारित आदेश के विरूद्ध दिनांक–17.05.2024 को अपील किया गया है, जो कि समय सीमा के अन्दर दाखिल नहीं किया गया है। उक्त अपील वाद काल बाधित है तथा तत्काल खारिज करने योग्य है।

(3.2) यह कि मौजा–डाड़ी अन्तर्गत खाता सं0–89, प्लॉट सं0–819, 821,826 एवं अन्य कुल रकबा–6.77 ए0 भूमि सर्वे खतियान में लालजी महतो वो लटन महतो को तीन हिस्सा अर्थात 5.74/3 ए0 भूमि दर्ज है एवं मिठु महतो के नाम से एक हिस्सा अर्थात 1.69¼ ए0 भूमि दर्ज है।

(3.3) यह कि दिनांक–25.12.1994 एवं दिनांक–26.12.1994 को सर्वे खतियान के रैयत वंशजों के बीच प्रश्नगत् भू–खण्ड की मापी झरी महतो पिता–स्व0 महादेव महतो जगनाथ महतो पिता–स्व0 जुठी महतो एवं खुशियाल महतो पिता–स्व0 आतो महतो पंचों के समक्ष भरत महतो पिता–हेमराज महतो (अमीन) द्वारा मापी किया गया था, जिसमें लालजी महतो वो लटन महतो को रकबा–5.05½ ए0 एवं मिठु महतो को रकबा–1.68½ ए0 भूमि हिस्सा प्राप्त हुआ था, जिसकी मापी प्रतिवेदन पर सर्वे रैयत

Scanned with OKEN Scanner

के वंशजों के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। प्रथम पक्ष के वंशजों में दुलो महतो, बेचन महतो, भुनेश्वर महतो, कोल्हा महतो, गगेश्वर महतो का द्वीतीय पक्ष के भुनेश्वर महतो का हस्ताक्षर है।

(3.4) यह कि द्वितीय पक्ष को इस मापी में मौजा–डाड़ी के खाता सं0–89 में प्लॉट सं0–1629, रकबा–0.26ए0, प्लॉट सं0–1965 रकबा–0.12ए0 प्लॉट सं0–826, रकबा–0.03ए0 प्लॉट सं0–1485, रकबा–0.12ए0 प्लॉट सं0–1617, रकबा–0.25ए0 प्लॉट सं0–849, रकबा–0.08 ए0, प्लॉट सं0–819, रकबा–0.05 ए0, प्लॉट सं0–820, रकबा–0.16 ए0 एवं प्लॉट सं0–821, रकबा–0.03 ए0 कुल जमा रकबा–1.10 ए0 भूमि एवं खाता सं0–89 के मूल रकबा–0.82 ए0 मे से रकबा–0.58½ ए0 कुल जमा रकबा–1.68½ ए0 प्राप्त हुआ है, जिस पर दखल–कब्जा कायम है तथा वर्तमान में कुल रकबा–1.44½ ए0 भूमि का पंजी–2 के पृष्ठ सं0–172/6 पर मिठु महतो के नाम से दर्ज है तथा दखल–कब्जा लम्बे समय से है। समय–समय पर पैसे की जरूरत पड़ने पर द्वितीय पक्ष द्वारा केवाला के माध्यम से बिक्री किया गया है।

(3.5) यह कि प्रथम पक्ष द्वारा खतियान में द्वितीय पक्ष के पूर्वज मिठु महतो का नाम हटा कर झूठे एवं जाली खतियान बना कर द्वितीय पक्ष को बलपूर्वक बेदखल करना चाहते है, जबकि द्वितीय पक्ष अपने हिस्से की भूमि पर प्रारम्भ से ही दखल–कब्जा मे है। प्रश्नगत् भू–खण्ड पर द्वितीय पक्ष का तीन जगह पर घर तथा माचा बना हुआ है। शेष भूमि पर कृषि कार्य करते है।

(3.6) यह कि प्रश्नगत् भू–खण्ड से संबंधित जो मामला इस न्यायालय में लाया गया है वह हक–हकियात, अधिकार बटवारा एवं केवाला की वैधता से संबंधित है, जिसका निर्णय माननीय व्यवहार न्यायालय में ही किया जा सकता है।

(3.7) यह कि अंचल अधिकारी, सिमरिया के द्वारा द्वितीय पक्ष के खतियान एवं प्रश्नगत् भू–खण्ड पर दखल–कब्जा पाकर ही भुनेश्वर महतो के पक्ष में आदेश पारित किया गया था। अनुरोध है कि अंचल अधिकारी के आदेश को यथावत रखते हुए प्रथम पक्ष के अपील आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा करें।

(3.8) द्वितीय पक्ष द्वारा अपने दावे समर्थन में 01. खतियान की छायाप्रति 2. मापी प्रतिवेदन 3. केवाला की छायाप्रति 4. वंशावली के शपथ–पत्र की छायाप्रति 5. मिठु महतो के नाम से लगान रसीद 6. मिठु महतो के नाम से ऑफलाईन/ऑनलाईन पंजी–2 की छायाप्रति 7. समझोता की छायाप्रति 8. धारा–107 अन्तर्गत वाद सं0–213/2022–23 की छायाप्रति 9. एफ आई आर की छायाप्रति।

Scanned with OKEN Scanner

4. उपरोक्त परिपेक्ष्य में उभय पक्षों द्वारा दाखिल लिखित कथन/लिखित बहस एवं राजस्व कागजातों के अवलोकन, विद्वान अधिवक्ता के बहस सुनने के उपरान्त एवं अंचल अधिकारी, सिमरिया के द्वारा पारित आदेश के आलोक में मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि :–

I. अंचल अधिकारी, सिमरिया द्वारा विविध वाद सं0–03/2022–23 (भुनेश्वर महतो बनाम विनोद महतो) में प्रथम पक्ष की जमाबंदी को यथावत रखने का आदेश पारित किया गया है। अंचल अधिकारी, द्वारा पारित आदेश में वर्णित है कि उभय पक्ष द्वारा खतियान प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत खतियान के सत्यापन हेतु अंचल न्यचायालय के पत्रांक–232 दिनांक–10.08.2023 द्वारा जिला अभिलेखागार से खतियान की सत्यापित प्रति की मांग गई थी जिसके आलोक में जिला अभिलेखागार चतरा के पत्रांक–200, दिनांक–07.11.2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया की अभिलेखागार में खतियान उपलब्ध नहीं है। इस न्यायालय को भी जिला अभिलेखागार के पत्रांक–55, दिनांक–03.04.2025 से प्रतिवेदन प्राप्त है कि खतियान स्कैनिगं के अनुसार खतियान उपलब्ध नहीं है। फिर भी अंचल अधिकारी, द्वारा द्वितीय पक्ष भुनेश्वर महतो के पक्ष में आदेश पारित किया गया जो न्यायसंगत प्रतित नहीं होता है।

II. प्रश्नगत् भू–खण्ड की भूमि रैयती खाते की भूमि है तथा उभय पक्षों द्वारा अलग–अलग खतियान प्रस्तुत किया गया है। प्रथम पक्ष द्वारा प्रस्तुत खतियान खाता संख्या–89, प्लॉट संख्या–819, 820 एवं अन्य कुल रकवा–6.77 ए0 लालजी महतो वो लटन महतो, पिता–सिटा महतो के नाम से दर्ज है जबकि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत खतियान में खाता संख्या–89 , प्लॉट संख्या–819, 820 एंव अन्य कुल रकवा–6.77 ए0 लालजी महतो वो लटन महतो,पिता–सिटा महतो के नाम से तीन हिस्सा एवं मिठु महतो को एक हिस्सा दर्ज है। प्रथम पक्ष अपने खतियान के अनुसार कुल रकवा–6.77 ए0 पर दावा कर रहे है जबकि द्वितीय पक्ष अपने खतियान के अनुसार एक हिस्सा 1.69½ ए0 भूमि का दावा कर रहे है।

III. उभय पक्षों द्वारा कोई भी प्रमाणित वंशावली इस न्यायालय को समर्पित नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट हो पाए की किनकी वंशावली सही है।

IV. उभय पक्षों की जमाबंदी कायम है। प्रथम पक्ष की जमाबंदी पंजी–II के पृष्ठ संख्या–109/2 पर रकवा–6.28ए0 की जमाबंदी लालजी महतो के नाम से कायम है जिसमें प्रथम लगान रसीद वर्ष 1970 का दर्ज है तथा द्वितीय पक्ष की जमांबदी पंजी–II के पृष्ठ संख्या–172/6 पर रकवा–1.44½ ए0 की जमाबंदी मिठु महतो के नाम से कायम है तथा प्रथम लगान रसीद वर्ष 2008 का दर्ज है। उभय पक्षों के पंजी–II के प्राधिकार कालम मे पंजी–II के पेज नम्बर 158/5 से लाया गया र्दज है।

V. उभय पक्षों के द्वारा दावा किया जा रहा है कि प्रश्नगत भू–खण्ड़ पर उनका दखल–कब्जा है।

Scanned with OKEN Scanner

VI. उभय पक्षों द्वारा अपने लिखित कथन/बहस में दावा किया गया है कि मामला हक–हकियत एवं स्वत्व से संबंधित है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य से स्पष्ट है कि अंचल अधिकारी, सिमरिया के द्वारा वाद संख्या–03/2022–23 में सभी बिन्दुओं का बिना अवलोकन किये ही एकतरफा आदेश पारित किया गया है। अंचल अधिकारी, द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जाता है। साथ ही मामला आपसी बटवारा, हक–हकियत एवं स्वत्व से संबंधित है जिसका निर्णय इस न्यायालय में सम्भव नहीं है इसके लिए सक्षम न्यायालय, व्यवहार न्यायालय है।

अतः असंतुष्ट पक्ष सक्षम न्यायालय में जाने हेतु स्वतंत्र है। वाद की अग्रेतर कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

24/09/25

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

24/09/25

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

Digitally signed by Sunny Raj
Date: 2025.10.10 17:53:11 +05:30
Location: 10.93.203.98

Scanned with OKEN Scanner